9/1/23 वादिया अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। जवाब स्टे बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/01/23 को पेश हो।

10/01/23 वादिया अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का वादपत्र भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। पूर्ण डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:26:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 183/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. रानी उर्फ सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एन तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः- 20.09.2022

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादिया

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,</u>

--निर्णय-- **दिनांक : 10.01.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 2 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 20/18 में क्रमांक - 2 पर वादिया के नाम 0. 475 हेक्टैयर नहरी कृषि भूमि संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिसमें वादिया का नाम रानी पुत्री हरदयाल सिंह दर्ज है, लेकिन वादी के समस्त पहचान संबंधी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामशाह कार्ड, ई-श्रम कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजो में वादिया का नाम सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह अंकित है। वादिया को रानी उर्फ सुखजीत कौर दोनो नामों से पुकारा जाता है। रानी उर्फ सुखजीत कौर एक ही औरत है, जिसे दोनो नामों से पुकारा जाता है, इसलिए वादिया राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। ताकि भविष्य में कोई विवाद अथवा परेशानी न हो। वादिया आज से 7 रोज पूर्व हल्का पटवारी के पास जाकर नाम में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया। परन्तु पटवारी हल्का ने राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया और आप न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम चक 2 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 20/18 में क्रमांक - 2 पर अंकित नाम रानी पुत्री हरदयाल सिंह के स्थान पर रानी उर्फ सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह घोषित किया जावे। उक्त नाम की डिक्री पारित की जावे एवं उपरोक्तानुसार नाम संशोधन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर को आदेश दिया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब [illegible] बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह वादिया स्वंय उपस्थित आई। [illegible] पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:26:56 IST
Reason: SelfAttested

विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 20/15 की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, ई श्रम कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा राजस्व ग्राम चक 2 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 20/18 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम रानी पुत्री हरदयाल सिंह के स्थान पर रानी उर्फ सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड में नाम सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह अंकित है। राजस्व ग्राम चक 2 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 20/18 में वादिया का नाम रानी पुत्री हरदयाल सिंह दर्ज है। वादिया अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में रानी उर्फ सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह दर्ज करवाना चाहती है। वाद वादिया, वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 2 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 20/18 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम रानी पुत्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार के स्थान पर रानी उर्फ सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:26:56 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

रानी उर्फ सुखजीत कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 183/2022

निर्णय दिनांक :- 10.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्ताई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोड़ा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 2 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 20/18 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम रानी पुत्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार के स्थान पर रानी उर्फ सुखजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिर्कोड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.01.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2023/18

दिनांक: 10.01.2023

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:26:56 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर